12/2/20 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा बहस करते हुए वादपत्र में उल्लिखित बिन्दुओं को दोहराया गया। नायब तहसीलदार कार्यालय हाजा ने राज पैरोकार की हैसियत से अपने जबाबदावा में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया।

न्यायालय की राय में तनकी सं. 1 एवं 2 को वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादपत्र में दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के घरेलू नाम फूसाराम पुत्र मनीराम को दुरुस्त किया जाकर इसके स्थान पर वादी का नाम फुरसाराम पुत्र मनीराम दर्ज किया जाकर ~~इसके स्थान~~ इसी अनुसार वादपत्र में दर्ज कृषि भूमि वाके चक 9 ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नंबर 282/459 के किला नं. 1 ता 15 की कुल 3.795 हैक्टर में से किला नं. 1 का 0.063, 2 का 00.63, 3 का .63, 4 का 0.63, 5 का 0.63 6 का 0.126, 7 का 0.127, 8 का 0.126, 9 का 0.127 व 10 का 0.126 कुल 0.947 हैक्टर पर वादी के खातेदारी अधिकारों

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म व में ज

की घोषणा की जाती है एवं तहसीलदार अनुपगढ़ उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि करने हेतु आदेशित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जावेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बादतकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

12/2/20

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.02.12 17:01:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: